न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 45–एक/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–12–07 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 74/अपील/96–97.

द्वारिका प्रसाद यादव तनय वसन्तराम यादव
निवासी बमुरा थाना शहडोल तह. सोहागपुर
जिला शहडोल म.प्र. ------ आवेदक

विरूद्ध

1– चन्द्रा बाई आत्मजा ददनी यादव सा. मिठौरी

2– बब्बी वाई मृतक विधिक वारिसान –

(2क) रामकिशोर यादव
(2ख) राममनाहर यादव
तनय लोकइया साकिन हर्री

3– छोटाबाई पुत्र ददनी मृतक वारिसान –

(क) शिवप्रसाद यादव
(ख) रामप्रसाद यादव
(ग) वीरन उर्फ रामेश्वर
(घ) रमेश यादव
सभी के पिता वंशू एवं माता छोटाबाई
निवासी ग्राम उधिया तह. सोहागपुर
जिला शहडोल म.प्र.

4– रामबाई मृतक विधिक वारिसान –

(क) बद्री यादव तनय लोकदीन याद0
(ख) गोमती पुत्री रामबाई
(ग) जनक पुत्री रामवाई
सभी सा. कुदिरा तह. सोहागपुर जिला शहडोल

5– गोविन्द प्रसाद पिता जगमुन्ना साकिन हर्री

6– प्रीतम पिता जगमुन्ना साकिन हर्री

7– मूलचन्द पिता जगमुन्ना साकिन हर्री

8– नारायण पिता जगमुन्ना साकिन हर्री
सभी का थाना शहडोल तह. सोहागपुर
जिला शहडोल म.प्र. ——— अनावेदकगण

श्री रजनीश मिश्रा अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री बृजेन्द्र सिंह तिवारी, अधिवक्ता, अनावेदक क. 1.
श्री सतीश तिवारी, अधिवक्ता, शेष अनावेदकगण.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 18/9/14 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 74/अपील/96–97 में पारित आदेश दिनांक 3–12–07 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे आवेदक के अनुसार इस प्रकार हैं कि विवादित भूमि के भूमिस्वामी मृतक ददद तनय ददनी थे, उनके कोई आलौद नहीं थी इस कारण उन्होंने आवेदक (जो कि ददद का भान्जा है) को बाल्य काल से अपने पास सेवा इत्यादि के लिए रख लिया थे और आवेदक के सेवा भाव से खुश होकर दिनांक 18–9–94 को विधिवत वसीयतनामा करा दिया । आवेदक ने मृतक भूमिस्वामी की मृत्यु के उपरांत वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन तहसीलदार, सोहागबपर के न्यायालय में प्रस्तुत किया । आवेदक के आवेदन पर कार्यवाही के विचाराधीन रहते भूमिस्वामी की बहिनों (अनावेदकगण) चन्द्राबाई बब्बीबाई, छोटाबाई, रामबाई और श्यामाबाई ने चोरीछिपे फर्जी वारिसाना नामांतरण राजस्व निरीक्षक से करा लिया । जिसकी जानकारी होने पर आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की जा उन्होंने आवेदक को आवश्यक पक्षकार न मानते हुए तथा अपील का अधिकार न होना मानते हुए निरस्त किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय मे निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक के पक्ष में मृतक भूमिस्वामी द्वारा वसीयत की गइ हे, इस कारण वह आवश्यक और हितबद्ध पक्षकार है, अनुविभागीय अधिकारी ने उसे आवश्यक पक्षकार न मानने तथा अपील करने का अधिकार न होने के संबंध में जो निष्कर्ष निकाले हैं वह विधिसम्मत नहीं है । अपर आयुक्त ने भी उनके आदेश को स्थिर रखने में त्रुटि की गई है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा जो नामांतरण किया गया है उसमें आवेदक जो कि हितबद्ध पक्षकार है को कोई सूचना नहीं दी गइ है । नामांतरण नियमों का पालन भी नहीं किया गया है दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि करने में न्यायिक त्रुटि की गई है ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक के हक में की गई वसीयत के आधार पर मामला तहसीलदार, सोहागपुर के न्यायालय में विचाराधीन था तब उन्हीं विवादित भूमियों के सबंध में दूसारा मामला राजस्व निरीक्षक के यहां विचारणीय नहीं हो सकता था और यदि दूसरा मामला दायर भी हुआ था तब दोनों मामलों को एक साथ विचारण में लेकर कोई आदेश पारित करना चाहिए था परंतु ऐसा न मानकर आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालयों ने त्रुटि की है ।

यह तर्क भी दिया गया है कि बिना जांच के वसीयत के बारे में गलत टिप्पणी करने का कोई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं था और न ही वे दस्तावेज को वैध/अवैध घोषित कर सकते थे । यह भी कहा गया कि एस.डी.ओ. द्वारा असल वसीयतनामा पेश न करने के आधार पर वसीयत को संदिग्ध मानने संबंधी जो बात कही है वह मनमानी है क्योंकि आवेदक द्वारा वसीयत के आधार पर पृथक से प्रकरण पूर्व में ही तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा था जिसमे असल वसीयत पेश की गई थी, ऐसी स्थिति में एस.डी.ओ. के समक्ष की गई अपील के साथ वसीयत की फोटो प्रति पेश की गई थी, उक्त तथ्य बहस के दौरान भी एस.डी.ओ. के समक्ष रखा गया था । एस.डी. ओ. उक्त प्रकरण को मंगा सकते थे किंतु ऐसा न करते हुए उन्होंने आवेदक को आवश्यक पक्षकार न मानकर आदेश देने में गंभीर त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदक श्यामाबाई जिसके पक्ष में नामांतरण किया गया है, ने स्वयं एस.डी.ओ. के समक्ष लिखित बहस में कहा गया है कि राजस्व निरीक्षक ने

अवैधानिक ढंग से नामांतरण कियागया है । प्रश्नाधीन भूमि की वसीयत ददद्दू यादव ने अपने जीवनकाल में आवेदक के नाम कर दिया था । उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने एवं निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए कि आवेदक द्वारा जो वसीयत बताई जा रही है वह फर्जी है, विचारण न्यायालय द्वारा वारिसाना आधार पर नामांतरण के आदेश दिए गए हैं, जिसकी पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है । यह भी कहा गया कि प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं, जिन्हें स्थिर रखा जाना चाहिए ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी मृतक ददद्दू थे जिनके कोई वारिस नही था। अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक मृतक भूमिस्वामी का भांजा होकर उसके पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित हुआ है और उक्त वसीयतनामे के आधार पर उसके द्वारा तहसील न्यायालय मे नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण कार्यवाही प्रचलित रहने के दौरान अनावेदकों द्वारा बिना आवेदकों को पक्षकार बनाए और बिना सूचना दिए बालाबाल राजस्व निरीक्षक से वारिसाना नामांतरण करा लिया गया जोकि पूर्णतया अवैधानिक कार्यवाही है कारण प्रथमतः आवेदक स्व0 ददद्दू का भांजा होकर उनका विधिक वारिस है इसके अतिरिक्त उसके पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित होने से वह हितबद्ध और आवश्यक पक्षकार है और उसे बिना पक्षकार बनाए और उसे बिना सुनवाई का अवसर दिए नामांतरण आदेश पारित करने में राजस्व निरीक्षक द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है । द्वितीय राजस्व निरीक्षक को केवल अविवादित नामांतरण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है और विवादित नामांतरण करने का क्षेत्राधिकार राजस्व निरीक्षक को नही है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है । उपरोक्त वैधानिक स्थिति को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा अनदेखा किया गया है और राजस्व निरीक्षक के विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश की पुष्टि की गई है जो कि अवैधानिक कार्यवाही होने से उनके

आदेश विधिसम्मत नहीं ठहराए जा सकते । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वह न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है, इस कारण उन्हें स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाते हैं । प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देकर तथा आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयत के संबंध में उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर नामांतरण के संबंध में विधिवत आदेश पारित करें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर